



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 4, 2019/आश्विन 12, 1941

No. 592]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2019/ ASVINA 12, 1941

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी. प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2019

**सा.का.नि. 759(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा निर्धारित पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदित उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

## अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड, पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2011 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. (1) इन विनियमों को पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।  
(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2011 में, अनुसूची में “प्रशासनिक विभाग, पारादीप पत्तन न्यास के अधीन प्रथम श्रेणी पदों के लिए भर्ती नियम” शीर्षक के अंतर्गत क्रम सं. 5 में अध्यक्ष के निजी सचिव के पद के विरुद्ध, कॉलम 9 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः—
  - “(क) नहीं”
  - “(ख) हाँ”
  - “(ग) नहीं”

**पाद टिप्पणी:** मुख्य विनियम, संख्या सा.का.नि. 386(अ), दिनांक 12 मई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात निम्नलिखित संख्याओं के तहत संशोधित किए गए थे—

- (i) सा.का.नि. 819 (अ) दिनांक 30 अक्टूबर, 2015;
- (ii) सा.का.नि. 1102 (अ), दिनांक 13 नवम्बर, 2018; और
- (iii) सा.का.नि. 1143 (अ), दिनांक 29 नवम्बर, 2018।

[मि.सं. पी.आर.-12016/7/2018-पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2019

**G.S.R. 759(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019, made by the Board of Trustees of the Paradip Port Trust, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Paradip Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.  
(2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the official gazette.
2. In the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in the Schedule, under the heading “Recruitment Rules for Class-I Posts under Administrative Department, PPT” against S.No. 5 relating to the post of “PS to Chairman”, in column 9, for entries, the following entries shall be substituted, namely:—  
“ (a) No  
(b) Yes  
(c) No”

**Footnote:** The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 386(E), dated the 12<sup>th</sup> May, 2011 and was subsequently amended *vide* number—

- (i) G.S.R. 819(E), dated the 30<sup>th</sup>, October, 2015;
- (ii) G.S.R. 1102(E), dated the 13<sup>th</sup>, November, 2018; and
- (iii) G.S.R. 1143(E), dated the 29<sup>th</sup>, November, 2018.

[F.No. PR-12016/7/2018-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Lt. Secy.